



भारत  
ICAR

Tele.: 0121-2575497 (O) Fax: 0121-2576584; Email: cpric.modipuram@gmail.com; cprirs.modipuram@icar.gov.in

# भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान

क्षेत्रीय केंद्र-मोदीपुरम- 250 110, मेरठ (उ.प्र.)

ICAR-Central Potato Research Institute

Regional Station, Modipuram-250110, Meerut (UP)

Website: http://cpric.res.in



पत्रांक: 5-3/2022-23/भ./ 1407

दिनांक: 14 सितम्बर, 2022

सेवा में,

-----  
-----  
-----


**विषय:** आँवले के पेड़ों पर लगी फलत की बिक्री हेतु कुटेशन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

इस परिसर के मोदीपुरम रिसर्च यूनिट एवं पाबली प्रक्षेत्र पर निम्नलिखित आँवले के पेड़ों पर लगी फलत की बिक्री होनी है। अतः इच्छुक क्रेता/ठेकेदार अपनी सील बंद कुटेशन इस कार्यालय में दिनांक 29.09.2022 दोपहर 12:30 बजे तक भेजने की व्यवस्था करें। देय तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कुटेशन को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। कुटेशन लिफाफे के ऊपर फलत का नाम, देय तिथि एवं आपका पूरा नाम व पता अंकित होना चाहिए। क्रेता को संलग्न नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। कुटेशन उसी दिन दिनांक 29.09.2022 दोपहर 3:00 बजे समिति सदस्यों द्वारा खोली जाएगी। आप अपने रेट्स संलग्न वित्तीय विवरण प्रोफार्मा में भरकर जमा करें।

1.	मोदीपुरम रिसर्च यूनिट पर उपलब्ध कलमी किस्मों के आँवले की फलत	लगभग 100 पेड़
2.	पाबली प्रक्षेत्र पर उपलब्ध कलमी किस्मों के आँवले की फलत	लगभग 60 पेड़

भवदीय

  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

संलग्न: नियम एवं शर्तें तथा वित्तीय विवरण प्रोफार्मा



भारत  
ICAR

## भाकृअनुप-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान

क्षेत्रीय केंद्र-मोदीपुरम- 250 110, मेरठ (उ.प्र.)

ICAR-Central Potato Research Institute

Regional Station, Modipuram-250110, Meerut (UP)

Tele.: 0121-2575497 (O) Fax: 0121-2576584; Email: cpric.modipuram@gmail.com; cprirs.modipuram@icar.gov.in

Website: http://cpric.res.in



### नियम एवं शर्तें:-

1. प्रत्येक क्रेता को रूपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाइन बैंकिंग की मूल प्रति कुटेशन के साथ सलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केन्द्र, मोदीपुरम के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पल्लेड़ा (कोड सं. 3067) पर देय होना चाहिये। NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से जमा कराने हेतु विवरण निम्नवत है: बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- पल्लेड़ा (3067), खाता सं.- 10172900089 , आई.एफ.एस.सी. न.- SBIN0003067 ।
2. मोदीपुरम एवं पाबली प्रक्षेत्र पर उपलब्ध आंबले के पेड़ों की फलत के लिए रेट्स एक मुश्त धनराशि के रूप में अलग-अलग यूनिट के हिसाब से सलग्न वित्तीय विवरण प्रोफार्मा में देने होंगे और अधिकतम बोलीदाता को यूनिट वार अबाई किया जायेगा।
3. रेट्स अंको एवं शब्दों में लिखे होने चाहिए।
4. पेड़ों पर लगी फलत का निरीक्षण मोदीपुरम रिसर्च यूनिट व पाबली यूनिट पर किसी भी कार्य दिवस के समय किया जा सकता है।
5. सशर्त कुटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. माल जैसा है और जहाँ के आधार पर तोड़कर अपने वाहन से ले जाना होगा।
7. जिस क्रेता/ठेकेदार के रेटस आंबले की फलत के सबसे ज्यादा होंगे उसी के ही रेट्स/कुटेशन स्वीकार की जायेगी।
8. आदेश मिलने की तिथि से क्रेता को तीन दिनों के अन्दर 50% एवं एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण फलत का भुगतान कार्यालय में जमा करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में कार्यालय में जमा धरोहर राशि अंकन रु. 10,000/- जब्त कर ली जायेगी। भुगतान कैशलेस माध्यम से जैसे- बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाइन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। यदि उपरोक्तानुसार क्रेता धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो संयुक्त निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे संबंधित क्रेता के रेटस को अस्वीकार मानते हुये कोई भी आगामी निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होंगे।
9. सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान होने के बाद ही फलत को तोड़ने दिया जायेगा।
10. दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक मोदीपुरम एवं पाबली प्रक्षेत्र के सभी पेड़ों की सारी फलत तुड़ाई करके अपने वाहन से ले जाना होगा अन्यथा की स्थिति में केन्द्र अपने स्तर से इसकी व्यवस्था कराने के लिये स्वतंत्र होगा और संबंधित क्रेता को दो साल के लिये काली सूची में डालने के लिये स्वतंत्र होगा।
11. मण्डी शुल्क तथा अन्य कोई कर यदि देय होगा तो वह भी क्रेता को वहन करना होगा।
12. रेट्स स्वीकार एवं आर्डर मिलने के पश्चात, सम्पूर्ण फलत की सुरक्षा करने की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता/ठेकेदार की होगी एवं इस प्रयोजन हेतु क्रेता को किसी भी प्रकार का ठिकाना बनाने एवं परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि क्रेता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान उसी समय अनुबन्ध को निरस्त करने को स्वतंत्र होगा तथा यह निर्णय मानना ठेकेदार के लिये बाध्यकारी होगा।
13. आंधी, तुफान एवं अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता/ठेकेदार की होगी।
14. माल की बोरी में भराई, तुलाई, सिलाई, ट्रक में लदाई व अन्य खर्चा यदि कोई होगा तो वह भी क्रेता को ही वहन करना होगा।
15. सिंचाई, पानी को छोड़कर कार्यालय द्वारा कोई यंत्र, कीटनाशक, कृषि रसायन, लेबर एवं बारदाना नहीं दिया जायेगा।
16. क्रेता को नियम एवं शर्तों तथा वित्तीय विवरण प्रोफार्मा पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य है।
17. कर नियमों के अनुसार यदि कोई कर देय होगा तो उसकी भरपाई क्रेता द्वारा ही की जायेगी।
18. कंटिंग एवं ओवर राइटिंग की स्थिति में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
19. किसी एक या सभी कुटेशनों को बिना कारण बताये संयुक्त निदेशक महोदय को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
20. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय निदेशक महोदय, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, (हि. प्र.) का होगा जिसे मानने के लिए सभी बाध्य होंगे।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी



भारत सरकार  
ICAR

## भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान

क्षेत्रीय केंद्र-मोदीपुरम- 250 110, मेरठ (उ.प्र.)

ICAR-Central Potato Research Institute

Regional Station, Modipuram-250110, Meerut (UP)

Tele.: 0121-2575497 (O) Fax: 0121-2576584; Email: cpric.modipuram@gmail.com; cprirs.modipuram@icar.gov.in

Website: http://cpric.res.in



### वित्तीय विवरण प्रोफार्मा

### Financial Bid

क्र. स.	फलत का नाम	प्रक्षेत्र का नाम जहाँ फलत उपलब्ध है।	कलमी किस्मों के आँवले पेड़ों की अनुमानित संख्या	एक मुश्त धनराशि के रूप में अलग-अलग यूनिट के हिसाब से रेट्स दें।
1	कलमी किस्मों के आँवले की फलत	मोदीपुरम	लगभग 100 पेड़	अंको मे रु. _____ शब्दों में _____
2	कलमी किस्मों के आँवले की फलत	पावली	लगभग 60 पेड़	अंको मे रु. _____ शब्दों में _____

मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मुझे आँवले की फलत की बिक्री हेतु दिये गये सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

ठेकेदार का नाम :.....

आधार नं०-----

पता :.....

पैन नं०-----

मोबाइल न. :.....

हस्ताक्षर -----